राज्य योजना आयोग
छत्तीसगढ़

योजना भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर 19, केपिटल कॉम्पलेक्स नया रायपुर
टैलीफैक्सः : 2511216, 2331317

क्रमांक/1878/रायोआ/रि. प्रो./2016 नया रायपुर, दिनांक 23/12/2016

प्रति,

1. कृषि उत्पादन आयुक्त एवं अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग
2. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
3. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ. शासन, उच्च शिक्षा विभाग
4. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ. शासन, तकनीकी शिक्षा
5. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग
6. विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

विषयः– राज्य के विकास को बढ़ावा देने वाले शोध के संबंध में।

––00––

राज्य की उच्च शिक्षा से जुड़ी शैक्षाणिक संस्थाओं में कार्यरत प्राध्यापक, विषय विशेषज्ञ तथा इन संस्थाओं के शोध ढांचों की राज्य के विकास में भागीदारी को बढ़ाने के उद्देश्य के साथ राज्य योजना आयोग छत्तीसगढ़ राज्य में कार्यरत् शैक्षणिक संस्थाओं (जिनमें स्नातक एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के साथ ही अभियांत्रिकी, चिकित्सा, पॉलीटेक्निक, कृषि, कृषि आंभियांत्रिकी तथा पशुचिकित्सा प्रबंधन आदि से जुड़ी संस्थायें हैं) को आयोग से जोड़ना चाहता है।

2/प्राध्यापक/विषय विशेषज्ञ अंशकालीन परामर्शदाता (Part Time Consultant) के रूप में आयोग से जुड़ सकते हैं। प्राध्यापक अपनी पदस्थापना में रहते हुये, अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्र में शोध कार्य कर सकते हैं। आयोग अल्प अवधि के प्रमुख रूप से 3 से 6 माह के शोध प्रस्तावों के पक्ष में है। जिसमें कि प्राप्त निष्कर्षों एवं सुझावों को क्रियान्वयन हेतु जल्द से जल्द राज्य शासन के विभागों से साझा किया जा सके। इस हेतु मानदेय एवं शोध सहायक प्रदान करने का प्रावधान रखा गया है।

3/ कृपया आपके विभाग के अधीनस्थ संचालित शैक्षणिक एवं अन्य समकक्ष संस्थाओं में पदस्थ प्राध्यापकों/विषय विशेषज्ञों को राज्य के विकास में शोध, योजनाओं के मूल्यांकन इत्यादि के लिये अंशकालीन परामर्शदाता के रूप में जोड़े जाने का अनुरोध है। संबंधित जानकारी इस पत्र के साथ संलग्न है, तथा आयोग की वेबसाईट www.spc.cg.gov.in पर प्रदर्शित है। इस हेतु विस्तृत जानकारी के लिये श्री पी. पी. सोती, सदस्य, राज्य योजना आयोग छत्तीसगढ़, फोन 0771–2511226, मो. 9425024447 ईमेल ppsoti@yahoo.in से संपर्क किया जा सकता है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(हस्ताक्षर)

(अमिताभ पांडा)
सदस्य सचिव
राज्य योजना आयोग छत्तीसगढ

पृ. क्रमांक / 1879 / रायोआ / रि. प्रो. / 2016 नया रायपुर, दिनांक 23 / 12 / 2016

प्रतिलिपिः—

1. संचालक, कृषि, छत्तीसगढ़
2. संचालक, पंचायत, छत्तीसगढ़
3. विकास आयुक्त, छत्तीसगढ़
4. आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़
5. संचालक, तकनीकी शिक्षा, छत्तीसगढ़
6. संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, छत्तीसगढ़
7. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, छत्तीसगढ़
8. संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, छत्तीसगढ़ को

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सदस्य सचिव
राज्य योजना आयोग छत्तीसगढ